न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 122/2023

अनवान : –

1. भगवानाराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

– सायल

बनाम्

1. भागमल पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद।
2. कुलदीप सिंह पुत्र भागमल जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद।
3. कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 मोमनराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद।
4. ईश्वर पुत्र स्व0 मोमनराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद।
5. भीम पुत्र स्व0 मोमनराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद।
6. रामप्रताप पुत्र स्व0 मोमनराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद।
7. लीला देवी पुत्री स्व0 मोमनराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद।
8. सतवीर पुत्र स्व0 सिलोचना पुत्री स्व0 मोमनराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद।
9. सुरेश पुत्र स्व0 सिलोचना पुत्री स्व0 मोमनराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद।
10. सुनीता पुत्री स्व0 सिलोचना पुत्री स्व0 मोमनराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद।
11. तीजा पुत्री स्व0 सिलोचना पुत्री स्व0 मोमनराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद।
12. पृथ्वीसिंह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद।
13. बुद्वराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद।
14. महेन्द्र पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद।
15. लालचन्द पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
17. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुंईया तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 26/10/23

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की रोही मौजा चक 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 127/126 की कुल तादादी 2.6060 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 128 ... की कुल तादादी 21.5450 हैक्ट स्थित है जिसके सालय व गैरसायलान संख्या ... काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल व गैरसायल का खाता मुश्तरका है तथा वादी एवं गैरसायलान एक ही परिवार के सदस्य है तथा सायल एवं गैरसायलान के पूर्वजों ने विवादित भूमि का बंटवारा कर रखा है तथा सायल पूर्वजों के बंटवारा के अनुसार ही काश्त करते आ रहे है तथा इसी अनुसार विवादित भूमि पर काबिज है। सायल मुताबिक कब्जा काश्त के अनुसार खाता लगान अलग करवा पाने के अधिकारी है।

सायल ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समलत व उपजाउ बना रखा है। गैरसायलान सायल की अच्छी किस्म की भूमि को देखकर सींव लगान व काश्त आदि का झगड़ा रखते है यदि गैरसायलान सायल की सींव डोल नष्ट कर देंगे तो सायल को न पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ मौका व रिकार्ड की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा पाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलानक के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की रोही मौजा चक 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 127/126 की कुल तादादी 2.6060 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 128/127 की कुल तादादी 21.5450 हैक्ट भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त के खाता व विभाजन अलग नही हो जाता है तब तक वादग्रस्त भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 127/126 की कुल तादादी 2.6060 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 128/127 की कुल तादादी 21.5450 हैक्ट भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि की यथास्थिति बनायें रखे। अप्रार्थी संख्या 7 ता 12 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 7 ता 12 न तो स्वयं उपस्थित न ही उनकी ओर से कोई प्लीडर उपस्थित अतः अप्रार्थी संख्या 7 ता 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी स0 1 ता 6 व 13 ता 15 की और से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया की वाद भूमि का किसी प्रकार का बाहमी बंटवारा नही हुआ है तथा सींव बाबत भी किसी प्रकार का विवाद नही रहता है। उत्तरदाता रिकार्डेड खातेदार है तथा रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही कि जा सकती है अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दस्तावेज दस्तबदारी पेश कर निवेदन किया की उक्त स्थगन के कारण हमारा नामान्तरण दर्ज नही हो रहा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दस्तावेजों एवं जमाबंदी के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट प्रमाणित है कि वाद भूमि के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है, उन्हें अपने हिस्से की हद तक की आराजी के उपयोग व उपभोग का अधिकार तो है लेकिन विशिष्ट किलो एवं विशिष्ट भू भाग को रहन बैय नही कर सकते है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 हाजा न्यायालय में विचाराधीन है अतः विशिष्ट भू भाग एवं किलो का बेचान राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 के प्रावधानांतर्गत विभाजन उपरांत ही किया जा सकता है। लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज दस्तबदारी के मुताबिक नामान्तरण दर्ज किया जाता है तो प्रार्थीगण को कोई क्षति नही होना प्रतीत होता है। अतः न्यायालय के विनम्र मत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक रूप से साबित होता है अतः ऐसी स्थिति में अगर विशिष्ट भू भाग व किलो को रहन बैय किया जाता है तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा व अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तीनो बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति आंशिक रूप से साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया जाना विधि संगत है।

अतः उपुर्यक्त विवेचनास्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का जारी किया जाता है कि वह रोही मौजा चक 14 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 127/126 की कुल 2.6060 हैक्ट भूमि व खाता संख्या 128/127 की कुल 21.5450 हैक्ट वाद भूमि में विशिष्ट भू भाग अथवा विशिष्ट किलो को ताफैसला वाद रहन–बैय न करें तथा प्रार्थी के हिस्से की हद तक की वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनायें रखे तथा दस्बरदारी के नामान्तरकरण पर उक्त स्थगन लागु नही होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/10/23 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:08:06 IST
Reason: SelfAttested